माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रा.रि.प्र.क्र....... / 2014

प्रस्तुति दिनाक 13 / 06 / 2014

1. कन्हैया पिता श्री शंकर गुर्जर
   उम्र– 58 वर्ष, व्यवसाय– कृषि

2. राजेश पिता श्री कन्हैया गुर्जर
   उम्र–37 वर्ष, व्यवसाय– कृषि

3. श्रीराम पिता श्री कन्हैया गुर्जर
   उम्र–32 वर्ष, व्यवसाय– कृषि

   सभी निवासी– भट्याण, तहसील कसरावद
   जिला खरगोन (म.प्र) .....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. रामेश्वर पिता श्री भगवान गुर्जर
   उम्र– 36 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
   निवासी– नगांवा, तहसील बड़वाह
   जिला खरगोन (म.प्र)

2. भगवान पिता श्री भुवानीराम गुर्जर
   उम्र– 42 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
   निवासी– भट्याण, तहसील कसरावद
   जिला खरगोन (म.प्र) .....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2014 –PBR / 2014 जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–9–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अंतिम स्वरूप की राहत अनावेदकगण को प्रदान कर दी गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा हाल ही में भूमि क्रय की गई है और उनके लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद आवेदकगण की भूमि में से रास्ता खोलने के आदेश में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदकगण के लिये कोई वैकल्पिक [illegible] पर उपलब्ध [illegible] प्रश्नाधीन रास्ता खोल जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, अतः आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम [illegible] की राहत प्रदान कर दी गई है। इसके [illegible] तहसीलदार [illegible] आवेदकगण को [illegible] [illegible] व साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता परंपरागत [illegible] एवं अनावेदक [illegible] लिये वैकल्पिक रास्ता होने के तथ्य को [illegible] कर सकते है [illegible] विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी [illegible] अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	[signature] 16/7/